प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.02.2025

थाना निवाडी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई बैट्री बरामद ।

दिनांक 11.02.2025 को थाना निवाडी पर वादी अंकुर सिंघल पुत्र अमरीश सिंघल निवासी तिबडा रोड कस्बा व थाना निवाडी गाजियाबाद ने प्रार्थना-पत्र दिया कि मैंने अपनी गाडी (पिकअप) को अपने गौदाम के पीछे खडा किया था, किसी अज्ञात चोर द्वारा उसकी बैट्री चोरी कर ली गयी है । प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना निवाडी पर सुसंगत धारा- 303 (2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण व अज्ञात चोर की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.02.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण कर, घटना कारित करने वाले अभियुक्त हरीशचन्द पुत्र फुल्लू निवासी लंकापुरी कस्बा व थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की गई बैट्री बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैं कूड़ा बीनने का काम करता हूँ, जब मैं कूड़ा बीन रहा था तो मैंने एक पैप्सी की दुकान के पीछे एक छोटा हाथी (गाडी) को खडे देखा जिसके पास कोई नही था तो मैंने लालच में आकर पैप्सी की दुकान के पीछे खडे छोटे हाथी (गाडी) से बैट्री चोरी कर ली थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

हरीशचन्द पुत्र फुल्लू निवासी लंकापुरी कस्बा व थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की गई बैट्री बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त चोरी की घटना के संबंध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना निवाडी पुलिस टीम ।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया ।

दिनांक 10.02.2025 को थाना निवाडी पर वादी ने सूचना दी कि हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम के बाद मेरी बेटी उम्र-08 वर्ष को एक लडका उम्र करीब 12 वर्ष एक खेत में बहला-फुसलाकर ले गया, बच्ची ने शोर मचाया तो वह वहां से भाग गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर सुसंगत धारा-137(2)/76 बीएनएस व 9/10 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पजीकृत किया गया। तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही व पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-87 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 12.02.2025 को थाना निवाडी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम

थाना निवाडी पुलिस टीम।